

**GREATER MOHALI AREA
DEVELOPMENT AUTHORITY**
PUDA Bhawan, Sector 62, S.A.S. Nagar
(Mohali)

PUBLIC NOTICE

M/s Chandigarh Royale City Promoters Private Limited was granted Colony License No. 10/2012 for development of Residential Colony at Village Karala, Tehsil Derabassi subject to the terms and conditions to be complied by this promoter. As per the terms and conditions of this license, this promoter was also required to deposit the statutory charges of External Development Charges and License Fee with the Competent Authority. However, the Promoter has failed to deposit the dues of statutory charges against his colony and has become a defaulter of an amount of Rs 51.27 Crores on account of External Development Charges and License Fee. The Promoter has been issued various notices to deposit the defaulted dues but till date the Promoter has not made any payment. Due to non-compliance on the part of this Promoter, the Concerned Offices have been requested to initiate action against this Promoter such as cancellation of RERA registration of the project, withdrawal of layout plan, suspension/cancellation of License and to stop all the Building Approvals of this project by GMADA.

7-6-2-8-221

General Public is hereby informed and advised not to engage in any sale or purchase transaction of plots/apartments or any properties with this promoter (M/s Chandigarh Royale City Promoters Private Limited). If any person still proceeds with it, the same shall be entirely at the risk and cost of the said person.

Competent Authority-cum-
Chief Administrator.

DPR FB 1716/12/2025-26/1857

GMDA
PUDA Bhawan, Sector 62, S.A.S. Nagar
(Mohali)

PUBLIC NOTICE

M/s Chandigarh Royale City Promoters Private Limited was granted Colony License No. 10/2012 for development of Residential Colony at Village Karala, Tehsil Derabassi subject to the terms and conditions to be complied by this promoter. As per the terms and conditions of this license, this promoter was also required to deposit the statutory charges of External Development Charges and License Fee with the Competent Authority. However, the Promoter has failed to deposit the dues of statutory charges against his colony and has become a defaulter of an amount of Rs 51.27 Crores on account of External Development Charges and License Fee. The Promoter has been issued various notices to deposit the defaulted dues but till date the Promoter has not made any payment. Due to non-compliance on the part of this Promoter, the Concerned Offices have been requested to initiate action against this Promoter such as cancellation of RERA registration of the project, withdrawal of layout plan, suspension/cancellation of License and to stop all the Building Approvals of this project by GMADA.

7-6-2-8-221

General Public is hereby informed and advised not to engage in any sale or purchase transaction of plots/apartments or any properties with this promoter (M/s Chandigarh Royale City Promoters Private Limited). If any person still proceeds with it, the same shall be entirely at the risk and cost of the said person.

Competent Authority-cum-
Chief Administrator.

DPR FB 1716/12/2025-26/1857

GMDA ग्रेटर मुहाली एरीआ बिहौलपमैंट अधारटी
पुड़ा डटन, सेक्टर-62, ऐस ए ऐस नगर (मुहाली)

जनउक सुचना

मेस. चंदोगढ़ राईल मिटी पॉमेटरज पारीबंट लिमिटेड ने इस पॉमेटर द्वारा आर्ग पालटा कोउ जाट लासे नियमा अति सरठा उपित पिंड बराला, उर्जाले ब्रेगांगी लिपे रिहाइमी बालेनी दा विकास बरन लाई बर्लेनी लाइसेन ने 10/2012 जारी बोडा गिया था। इस लाइसेन दे नियमा अति सरठा अलुमार इस पॉमेटर ने समर्वेष अवधारटी बैल बर्ही विकास चारनिज अति लाइसेन दोन आदि दे विषयातिक चारनिज दो जमा बराउटे थन। दिव दो पॉमेटर अपटी बालेनी संरेणी विषयातिक चारनिज दे बराए जाए बराउट दिव असदल रिया है अति शाहरी विकास चारनिज, लाइसेन गोप वज्ञे रुपए 51.27 बरेत दो राशी दा उन्नेवट्कारी पटिया है। पॉमेटर ने उल्लेपटा राशी बराउटा अदा बरन लाई वैध-वैध नोटिस जारी बोडे गए थन, लेकिन अज उक पॉमेटर ने कोई अटाइरी नहीं बोडा। इस पॉमेटर दो उर्दे पालटा ना बरन बरवे, संवेपित द्रव्यता ने बो बरुडो बोडी बोडी है ति इस पॉमेटर द्विरुप बारबादी बरु बोडी जाबे जिवे पैनेकट दी रेग गिमाटरोग रेंट बरना, लेअ-आर्टिट पलान वाप्स लैटा, लाइसेन नु भुअरल/रेंट बरना अति गामाडा द्वारा इस पैनेकट दोआ सारीआ विलडिंग बुडानगोआ बिकटा जामिल है।

आम जनउक ने इस द्वारा सुधित बोडा अति सकाह दिँडी जाई है कि उह इस पॉमेटर (मेसरज चंदोगढ़ राईल मिटी पॉमेटरज पारीबंट लिमिटेड) नान पालटा/अपारटमेन्ट जा विसे पापरटोन दे दिकरी जाए प्लॉट-स्टेट-स्टेट विस सामिल ना होट। जेवर कोई विअवडी अजे दो हैट-हैट बरना हे तो उह मुकंमल उर्दे उभु बिअवडी दे जेधम अति लावात उचे होवेगा।

7-6-2-8-221

समर्वेष अवधारटी-वाम-
धृष्ट प्राप्तव

PR-Advt. No :- 1716/12/2025-26/1857

ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण
पुड़ा डटन, सेक्टर-62, ऐस ए ऐस नगर (मोहाली)

सर्वजनिक नोटिस

प्रस्तुत वर्दीपट रियल स्टी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को डेरावस्ती लाइसेन के गोव कराता मैं अदारीय कॉलेनी के विकास के तिए कॉलेनी लाइसेन सख्ता 10/2012 द्वय ठिया गया था। जिसठा पातन इस प्रमोटर द्वारा किए जाने वाले नियमों और शर्तों के अनुवान थे। इस लाइसेन के नियमों और शर्तों के अनुसार, इस प्रमोटर को सक्षम प्राधिकारी के पास वाहु विकास शुल्क और लाइसेन शुल्क ले विधानिक शुल्क भी जमा लगाने थे। इसीकौन, प्रमोटर अपनी कॉलेनी के तिए विवानिक शुल्क की बाकाया राशि जमा करने मैं विफल रहा है और वाहु विकास शुल्क और लाइसेन शुल्क के मद मे 51.27 लार्ड रुपये का डिफल्टर द्वय गया है। प्रमोटर को बकाया राशि जमा करने के तिए कई नोटिस जारी किए गए हैं, तथा इन आज तक प्रमोटर ने कोई भुगतान नहीं किया है। इस प्रमोटर द्वारा नियमों का पातन न करने के कारण, सर्वजनिक कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रमोटर के दिवान कारंदाई करें। जैसे कि परियोजना का RERA एजीकरण रद्द करना, लेजाउट प्लान वाप्स लेना, लाइसेन नितिवित्त/सिरस्त करना और ग्लाडा द्वारा इस परियोजना के सभी भवन अनुमोदन रोकना।

आम जनउक ये एतद द्वारा सुदित और सत्त्व दी जाती है कि ये इस प्रमोटर (मेसरज चंदोगढ़ राईल मिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड) के साथ प्लॉट्स/अपारटमेन्ट या किसी भी संपत्तियों की बिक्री या सर्वांत का टोइ खेत-देन-देन न करें। यदि कोई यक्ति ये राशि जमा करता है, तो वह यूरे तरह से उठ व्यक्ति के जाखिम और लागत पर होगा।

7-6-2-8-2-8-221

DPR FB 1716/12/2025-26/1857

समर्वेष अवधारटी-सह-
मुख्य प्राप्तव



Scanned with OKEN Scanner